रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267876
CG-DL-E-21112025-267876

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 768] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2025/कार्तिक 27, 1947
No. 768] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2025/KARTIKA 27, 1947

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 854(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण में भेषजज्ञ, महिला परिचर और ड्रेसर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण, औषधालय स्टाफ भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि. - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. आरंभिक गठन.- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पदों के ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर ऐसे पदों को धारण कर रहे हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

5. निरर्हता.- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद है या अचयन पद।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.भेषजज्ञ।	05* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/रु.) । **टिप्पण.-** भेषजज्ञ को उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400/रु.) में अकृत्यिक अनुज्ञेय हैं।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या	आवश्यक: (i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से भेषजी (डी-फार्म) में डिप्लोमा	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष। **टिप्पण.-** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा	सीधी भर्ती द्वारा ।

आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण.-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	या भेषजी (बी-फार्म) में स्नातक या भेषजी (फार्म डी) का चिकित्सक; और (ii) भेषजी अधीनियम,1948 के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत। **टिप्पण.–**अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष; 2. भारतीय सर्वेक्षण से भिन्न कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य; 3. सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. महिला परिचर।	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900/रु.) ।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
महिला अभ्यर्थियों की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण; और (ii) रेड क्रॉस सोसाइटी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या मान्यताप्राप्त संस्था से	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष। **टिप्पण.-** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह	सीधी भर्ती द्वारा ।

जा सकती है।) **टिप्पण.-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र । **टिप्पण.** – अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष; 2. भारतीय सर्वेक्षण से भिन्न कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य; 3. सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. ड्रेसर ।	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900/रु.) ।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण.- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण; और (ii) रेड क्रॉस सोसाइटी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या मान्यताप्राप्त संस्था से प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र । **टिप्पण.** – अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष। **टिप्पण.-** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष; 2. भारतीय सर्वेक्षण से भिन्न कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य; 3. सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एसएम/02/11/2023]

संजय कुमार, संयूक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department Of Science And Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2025.

G.S.R. 854(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Pharmacist, Female Attendant and Dresser in the Survey of India, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Survey of India, Dispensary Staff Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Initial constitution. - The incumbents to the posts, mentioned in column (1) of the said Schedule who are holding such posts on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under the provisions of these rules.

5. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Pharmacist.	05* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300). **Note.-** The non-functional pay matrix of Rs.35400-112400 in level-6 is admissible to the Pharmacist on completion of two years of regular service in the grade.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, If any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: (i) Diploma in Pharmacy (D.Pharm) or Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) or Doctor of Pharmacy (Pharm.D) from a recognised University or institution; and (ii) registered as Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948. **Note.-** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Not applicable.

		1. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office. - Chairperson; 2. One Group 'A' Officer from the Office other than Survey of India. - Member; 3. Assistant Surveyor General, Surveyor General's Office. - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Female Attendant.	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Female Candidates aged between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: (i) 10th pass from a recognised Board; and (ii) First Aid Certificate from Red Cross Society or the Central Government or State Government or recognised institution. **Note.-** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office. - Chairperson; 2. One Group 'A' Officer from the Office other than Survey of India. - Member; 3. Assistant Surveyor General, Surveyor General's Office. - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Dresser.	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time	Essential: (i) 10th pass from a recognised Board; and (ii) First Aid Certificate from Red Cross Society or the Central Government or State Government or recognised institution.	Not applicable.	Two years. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful

in this regard). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Note.-** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.		completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office. - Chairperson; 2. One Group 'A' Officer from the Office other than the Survey of India. - Member; 3. Assistant Surveyor General, Surveyor General's Office. - Member.	Not applicable.

[F. No. SM/02/11/2023]

SANJAY KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.11.21 12:00:12 +05'30'